कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति बिलासपुर,

जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

–: आदेश :–

क्र. 7894/सेजेस/संविदा भर्ती/2022–23 बिलासपुर, दिनांक 30/9/2022

छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग, के आदेश क्र0 एफ–23–08–/2020/20–दो/48 अटलनगर,नवारायपुर दिनॉक 24/06/2022 के परिपालन में कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी अत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय (संचालन एवं प्रबन्धन समिति) के आदेश क्र0 5608/सेजेस/स्थापना/2022–23 बिलासपुर, दिनॉक 14/07/2022 के स्वीकृत सेटअप के अनुसार जिले में स्वीकृत **स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डी के पी कोटा** (छ0ग0) में संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन क्र0/5758/सेजेस/अंग्रेजी माध्यम/संविदा भर्ती/22–23 बिलासपुर दिनॉक 19/07/2022 जारी किया गया था। एतद् द्वारा **स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डी के पी कोटा** (छ0ग0) में निम्नांकित अभ्यार्थियों को उनके नाम के सम्मुख कण्डिका 04 में उल्लेखित पद पर विज्ञापन में अधिरोपित शर्तो के अधीन एक मुश्त मानदेय (अन्य कोई भत्ते देय नहीं होगें) पर संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पद का नाम	विषय	चयनित संवर्ग	पता	एकमुश्त देय वेतन
1	2	3	4		5	6	7
1	BHISHEK KUMAR SAHU	BHARAT LAL SAHU	व्याख्याता	हिन्दी	अनारक्षित	पोस्ट अहिल्दा जिला बलौदाबाजार	38100.00
2	MANJU KATHOTIYA	MAYARAM KATHOTIYA	व्याख्याता	हिन्दी	अ जा	अभिषेक विहार फेस 3 मंगला बिलासपुर	38100.00
3	NIHAL SONI	SANJEEV SONI	व्याख्याता	सामा विज्ञान	अनारक्षित	दर्जी मंदिर के सामने गोंड पारा बिलासपुर	38100.00
4	SANGEETA SONI	K K SONI	सहा शिक्षक	विज्ञान	अनारक्षित	बचपन स्कूल के पास राजकिशोर नगर बिलासपुर	25300.00
5	YOGESHWARI KURRE	GANESH RAM KURRE	सहा शिक्षक	विज्ञान	अ जा	सीएस ई बी कालोनी एफ 258 एच टी पी सी दर्री कोरबा	25300.00
6	PRIYANKA SINGH THAKUR	SANJAY SINGH THAKUR	सहा शिक्षक	कला	अनारक्षित	दीनदयाल कालोनी मंगला ई डब्यू एस मकान के पीछे बिलासपुर	25300.00

1. उपरोक्त पदांकित व्याख्याता/शिक्षक/सहायक शिक्षक (संविदा) को पदस्थापना स्थान स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय **स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डी के पी कोटा बिलासपुर** (छ0ग0) में दिनांक 07/10/2022 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जायेगा।
2. नियुक्ति सभी अभ्यर्थी छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के प्रावधानों के अधीन अधीन होंगे एवं छ. ग. सिविल आचरण नियम 1965 से शासित होंगे।
3. नियुक्त अभ्यर्थी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति बिलासपुर के पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे।
4. संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रत्याशा में की जा रही है। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।

Scanned with CamScanner

पुलिस अधीक्षक से प्राप्त अनुप्रमाणन (चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र) में यदि आपराधिक गतिविधियां पाई जाती हैं तो सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

6. नियुक्त अभ्यर्थी का कार्य व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर संबंधित को 1 माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में 01 माह का वेतन देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।

7. उपरोक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीद्वार की नियुक्ति में आरक्षण दिये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रसारित निर्देशों का पालन किया गया है। नियुक्ति में शासन के द्वारा जारी किया जाने वाला आरक्षण रोस्टर नियम प्रभावशील होगा ।

8. यदि किसी भी स्तर पर उम्मीदवार द्वारा उसके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी गलत पायी जाती है तो वह बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किए जाने के लिये स्वयं उत्तरदायी होगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जावेगी।

9. यदि उपर्युक्त नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन, अभिलेख सत्यापन में प्रस्तुत जानकारी/प्रमाण पत्र गलत/भ्रामक/कूटरचित पाये जाते हैं तो उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के युक्तियुक्त प्रावधानों के अधीन कठोर कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगा।

10. समस्त चयनित अभ्यर्थियों के कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण तथा अनिवार्य रूप से वार्षिक मूल्यांकन, नियोक्ता द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जावेगा एवं उक्त समिति की अनुशंसा उपरांत ही विद्यालयीन आवश्यकता अनुसार आगामी सत्रों के लिये नियुक्ति निरंतर जारी रखी जा सकेगी।

11. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई प्रकृति की है, चयनित अभ्यर्थी इस आदेश में उल्लेखित एकमुश्त वेतन के अतिरिक्त स्थाईकरण, नियमितिकरण, संविलियन, पेंशन या अन्य कोई सेवालाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, न ही इस संबंध में कोई दावा विचारणीय होगा। यह संविदा नियुक्ति उभयपक्षों में से किसी भी पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में 1 माह का वेतन देकर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
स्वामी आत्मानंद उ.अं.मा.विद्यालय
संचालन एवं प्रबंधन समिति बिलासपुर
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. 7895/संविदा भर्ती/2022-23 बिलासपुर, दिनांक 30/9/2022

1. सचिव, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ ।
6. उप संचालक, जन संपर्क विभाग, बिलासपुर (छ.ग.) को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. डी.आई.ओ.एन.आई.सी. बिलासपुर को सूचनार्थ एवं जिले के पोर्टल https://bilaspur.gov.in/ पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. जिला कोषालय अधिकारी, बिलासपुर को सूचनार्थ।
9. प्राचार्य, **स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डी के पी कोटा** (छ०ग०) को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि संबधित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति प्राप्त कर समय सीमा में कार्यभार ग्रहण कराते हुए पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
10. संबंधित श्री/श्रीमती/कु./सुश्री...को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
स्वामी आत्मानंद उ.अं.मा.विद्यालय
संचालन एवं प्रबंधन समिति बिलासपुर
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner